ज्ञापांक–**2306**/तक0 / 2023

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–29.04.2023

सेवा में,

Vinod Menon,
Eastern Technocart Private Limited,
M/S Eastern technocrat private limited Plot No-E-37.

विषयः– **मौजा–Hatiyadih, प्लॉट नं0–E-37, खाता नं0–81, वार्ड नं0–00, थाना–आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ में प्रस्तावित फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित फैक्ट्री भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आदित्यपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–161 दिनांक–28.04.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित फैक्ट्री भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउंड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फैक्ट्री भवन के चारों तरफ 150MM डाया वाला एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रयेक 30-30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय। प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं दो–दो अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 ली0 / मि0 क्षमता वाले एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय
5. 180 ली0 / मि0 क्षमता वाले जॉकी पम्प का संस्थापन किया जाय।
6. पूरे फैक्ट्री गैस गोदाम एवं भण्डार को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. पूरे फैक्ट्री भवन को Smoke Detection System से सुरक्षित किया जाय।
8. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
9. इन सभी पम्प को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
10. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से कराया जाय।
11. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 09 Kg क्षमता वाले दो–दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
13. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
14. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 4.5 के0जी0 क्षमता के 06-06 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 08-08 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
15. फैक्ट्री भवन में Manually Operated Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भण्डारण परिसर में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।

16. फैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

17. फैक्ट्री भवन परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।

i. DCP Fire Extinguisher 06 kg	-	04 Nos.
ii. Fire Bucket	-	04 Nos.
iii. Form Extinguisher 09 Ltr	-	02 Nos.
iv. Fire Bitter	-	08 Nos.

18. फैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।

19. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।

20. फैक्ट्री भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।

21. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.9 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90b
e3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d
90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.04.29 19:36:56 +05'30'

(**जगजीवन राम**),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।